(4) उपमान प्रमाण

न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञात वस्तु की समानता के आधार पर अज्ञात वस्तु की वस्तुवाचकता का ज्ञान जिस प्रमाण के द्वारा हो उसे ही उपमान कहते हैं। इस प्रमाण द्वारा प्राप्त ज्ञान 'उपमिति' या उपमानजन्य ज्ञान है। 'तर्कसंग्रह' के अनुसार संज्ञा-संज्ञी-सम्बन्ध का ज्ञान ही उपमिति है। इस प्रकार उपमान वह है जिसके द्वारा किसी नाम (संज्ञा) और उससे सूचित पदार्थ (संज्ञी) के संबंध का ज्ञान होता है। उपमान ज्ञान प्राप्ति का वह साधन है, जिसके द्वारा किसी पद की वस्तुवाचकता का ज्ञान हो।

उपमान का शाब्दिक अर्थ है - 'उप' + 'मान'। 'उप' का अर्थ है - सादृश्य और 'मान' का अर्थ है - 'ज्ञान'। अतः उपमान से सादृश्य-ज्ञान का बोध होता है। सादृश्य-ज्ञान ही उपमिति का आधार है। जैसे, मान लीजिए किसी आदमी को यह ज्ञान नहीं है कि 'नीलगाय' किस प्रकार की होती है। परन्तु कोई विश्वासी व्यक्ति उसे कह देता है कि 'नीलगाय' गाय के ही सदृश होती है। जब वह व्यक्ति जंगल में जाता है और वहाँ इस प्रकार का पशु उसे दीख पड़ता है, तब वह तुरन्त समझ जाता है कि यह नील-गाय है। उसका यह ज्ञान उपमान के द्वारा प्राप्त होने के कारण उपमिति कहलायेगा।

सभी प्रकार के सादृश्य उपमिति के आधार पर नहीं कहे जा सकते। वही सादृश्य उपमिति का प्रामाणिक आधार कहा जा सकता है, जिसमें जाति या सामान्य की एकता या समरूपता पाई जाए। अतः सादृश्य के लिए दो वस्तुओं में संबंध सजातीय होना चाहिए कि विजातीय। कौआ और हाथी में विजातीय सम्बन्ध है; क्योंकि इनमें पहला पक्षी है और दूसरा पशु है। कुत्ते और भेड़िए में सजातीय संबंध है; क्योंकि दोनों ही पशु हैं।

उपमिति का विश्लेषण करने पर इसमें चार तत्व पाये जाते हैं -

(i). किसी विश्वसनीय व्यक्ति का कथन है कि अमुक अज्ञात वस्तु, अमुक ज्ञात वस्तु के समान होती है, जैसे- गेडिया बड़े कुत्ते की तरह होता है।

(ii). सादृश्यधी - किसी वस्तु को देखकर पूर्वज्ञात वस्तु से उसकी समानता की बुद्धि उत्पन्न होना।

(iii). वाक्यार्थ-स्मृति - सादृश्य अनुभूत करने पर विश्वसनीय या आप्तपुरुष का कथन याद पड़ना।

(iv). उपमिति - उस नई वस्तु का ज्ञान हो जाना।

साधारणतः सादृश्य को उपमिति का आधार मानते हैं, किंतु नैयायिकों ने आगे चलकर समानता के साथ-साथ विषमता और विचित्रता को भी उपमिति का आधार स्वीकार कर लिया। इसलिए तर्कसंग्रह में इस आधार पर तीन भेद बताये हैं उपमान के। वे हैं - साधर्म्योपमान, वैधर्म्योपमान, धर्ममात्रोपमान।

(i) साधर्म्योपमान → यदि किसी ज्ञात वस्तु के सादृश्य के आधार पर किसी दूसरे वस्तु की वस्तुवाचकता का ज्ञान प्राप्त किया जाए, तो यह 'साधर्म्योपमान' कहलाता है। जैसे कि, बड़े कुत्ते के सादृश्य के आधार पर गेडिया पद की वस्तुवाचकता का ज्ञान प्राप्त करना साधर्म्योपमान है।

(ii) वैधर्म्योपमान → जब किसी पूर्वपरिचित वस्तु की असमानता (असादृश्यता) के आधार पर किसी वस्तु की वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त हो, तो इसे वैधर्म्योपमान कहते हैं। जैसे- मान लिया किसी व्यक्ति ने हाथी नहीं देखा है, किंतु वह भैंस से पूर्ण परिचित है। उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति

से यह ज्ञात होता है कि हाथी भैंस से बड़ा होता है, उसके पैर केले के थंभ के समान मोटे होते हैं, उसके कान सूप की भांति होते हैं और उसके एक सूंड भी होती है, किंतु रंग-रूप में वह भैंस के सदृश होता है। अब यदि वह व्यक्ति कहीं हाथी देखकर भैंस की असमानता के आधार पर उसकी वस्तुवाचकता का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो यही 'वैधर्म्योपमान' कहलाता है।

(iii) - धर्ममात्रोपमान → यदि किसी वस्तु की वस्तुवाचकता का ज्ञान केवल उस वस्तु की विचित्रताओं, विलक्षणताओं एवं विशेषताओं के आधार पर हो, तो इसे 'धर्ममात्रोपमान' कहते हैं।

उदाहरण - मान लिजिए, किसी व्यक्ति ने ऊँट कभी नहीं देखा है, किंतु उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति से पता चलता है कि ऊँट एक विचित्र जानवर है जिसकी गर्दन लम्बी एवं टेढ़ी होती है, पैर पतले एवं लम्बे होते हैं, पूँछ छोटी होती है और पीठ पर एक कूबड़ होता है। अब यदि कोई व्यक्ति कहीं ऊँट देखता है और उसकी विलक्षणताओं के आधार पर उसकी वस्तुवाचकता का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो यही 'धर्ममात्रोपमान' है।

इस प्रकार से भाष्यकार वात्स्यायन ने उपमान को बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण बताया है, क्योंकि यह व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है। इसके द्वारा ही पता चलता है कि किसी नाम (संज्ञा) से किन वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है। आयुर्वेदशास्त्र एवं विज्ञान के क्षेत्र में भी उपमान के आधार पर अनेक दवाओं तथा अज्ञात पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अतः उपमान को एक स्वतंत्र प्रमाण स्वीकारना पूर्णतः न्यायसंगत है। उपमान को पाश्चात्य तर्कशास्त्र में सादृश्यानुमान (Analogy) कहा जाता है। यह ज्ञान सादृश्य के आधार पर प्राप्त होता है।

—×—